

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान बनाम
 प्रकरण संख्या अन्तर्गत धारा.....

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज
२०/६/२२	अधिवक्तागण उपस्थित। बहस हेतु समय प्राप्त। RTI की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वारंते बहस दिनांक ०५/०७/२२ को पेश हो।
२५/६/२२ रामपाल कौर सुश्री गुरदेव सिंह सुश्री सुश्री	आज यह पत्रावली प्रार्थिया अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर पेशी में ली गई प्रार्थना पत्र में विवेकन किया कि उक्त अनवान प्रकरण में अप्राथमिक के साथ प्रार्थिया का राजीनामा हो चुका है। इसलिए उक्त प्रकरण आज की पेशी में लिखा जाकर खारिज करमाया जावे। अधिवक्तागण को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा २१२ RTA नोट प्रिस करने पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है व प्रकरण में जारी अस्थापी विवेधाना दिनांक १२/२/१८ भी इसी स्तर पर निरस्त की जाती है। पत्रावली निगति लेकर नम्बर से कम होकर दाखल वफतर् हो।



जयसिंह उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 श्री करणपुर